न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 01 / 25 वर्ष 2025

जीसीएम संख्या :—2025 / 5

बउनवानी:— 1. ईसरदा चेरीटेबल ट्रस्ट ईसरदा जरिये केयर टेकर मुरली मनोहर यादव पुत्र श्री मदन लाल यादव निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. ग्राम पंचायत ईसरदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ईसरदा पं0स0 चौथ का बरवाडा
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ईसरदा पं.स. चौथ का बरवाडा
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा
4. देवनारायण मंदिर सर्व गुर्जर समाज ईसरदा तह0 चौथ का बरवाडा जरिये
   4/1. तेजप्रकाश पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी ईसरदा,
   4/2. चतुर्भज पुत्र गापीलाल गुर्जर निवासी ईसरदा
   4/3. रामरतन पुत्र बालीजी गुर्जर निवासी ईसरदा
   4/4. चतरा राम पुत्र रामनारायण गुर्जर निवासी ईसरदा
   4/5. रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ईसरदा,तह. चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पटटा दिनांक 25.12.1975 ग्राम पंचायत ईसरदा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री पुरूषोत्तम लाल पारीक वकील प्रार्थी

2. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.8.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत ईसरदा द्वारा जारी पटटा दिनांक 25.12.1975 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश एवं पटटा रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा में ठिकाना ईसरदा की सम्पत्तियॉ स्थित है जिसमे गढ ईसरदा के पास अलमशहूर नजर बाग की सम्पत्ति भी स्थित है जो सदैव से रियासत कालीन समय से निरन्तर ठिकाने के पूर्ण स्वामित्व व पूर्ण आधिपत्य मे चली आ रहीं है। ठिकाना ईसरदा की सम्पूर्ण सम्पत्तियो की रक्षार्थ एवं उनकी सुचारू रूप से देखभाल व सार सम्भाल करने हेतु ठिकाना ईसरदा की ठंकुराईन श्रीमति कुशल कुमारी धर्म पत्नि स्व. ठाकुर बहादुर सिंह जी एक्स जागीरदार ईसरदा ने अंपने जीवन काल में ठिकाना ईसरदा की सम्पत्तियों के लिये एक ट्रस्ट का गठन किया गया जिसका पंजीयन उप पंजीयक सवाईमाधोपुर के कार्यलय में दिनांक 10.04.1998 को कराया गया है जिसमे ठिकाना ईसरदा की तमाम सम्पत्तियों का विवरण दर्ज है जिसमे नजर बाग की सम्पत्ति भी दर्ज है ट्रस्ट डीड के अनुसार ट्रस्ट डीड के पृष्ठ संख्या 12 की शिड्यूल के मद संख्या 5 मे नजर बाग दर्ज है जो ठिकाना ईसरदा की सम्पत्ति है। जिसपर चेरिटेबल ट्रस्ट महाराज देवराज की ओर से प्रार्थी चेरिटेबल ट्रस्ट ईसरदा की [illegible] देखभाल के लिये एवं कार्यवाही करने के लिए कैयर ठेकर के रूप मे नियुक्त होने के कारण प्रार्थी [illegible] निगरानी पेश करने का अधिकार है। ईसरदा का मालिकाना हक है इसलिए [illegible] तर्क भी दिया कि उक्त नजर बाग की सम्पत्ति पर ठिकाना ईसरदा का मालिकाना [illegible] जिसपर ग्राम पंचायत ईसरदा को पटटा जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है तथा ट्रस्ट [illegible] भूमि नजरबाग पर देव[illegible] मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:09 IST
Reason: Self Attested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

गुर्जर सर्व समाज ईसरदा को दिया गया पटटा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ईसरदा के पूर्व सरपंच गुरूवचन सिंह के द्वारा जो तथाकथित पटटा देवनारायण मंदिर सर्व गुर्जर समाज ईसरदा को साईज 60X102 फिट का जो निःशुल्क पटटा जारी किया है जिसका विधिक अधिकार ग्राम पंचायत ईसरदा को नही होने के बावजूद भी अपने अधिकारो से परे जाकर नियम विरूद्व पटटा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। देवनारायण मंदिर सर्व गुर्जर समाज ईसरदा को जो पटटा जारी किया गया है उस पर समस्त लिखावट व समस्त इबारत एवं उस पटटे पर लगी मोहर एवं उस पर सरपंच के हस्ताक्षर सब जाली प्रतीत होते है क्योकि उक्त पटटा व उक्त पटटे की पत्रावली ग्राम पंचायत के कार्यालय के रिकार्ड मे उपलब्ध नही है। उक्त पटटे पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर भी नही है ना ही किसी गवाह के हस्ताक्षर है ना ही पटटे पर कोई पटटा कमांक दर्ज है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के रिकार्ड मे उक्त पटटे का कही कोई इन्द्राज नही है। यह पटटा गलत बनाया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। देवनारायण मंदिर सर्व गुर्जर समाज ईसरदा पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नही किया ओर ना ही कोई विधिवत मौका देखा गया ओर ना ही मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी ओर ना ही पटटा जारी करने से पूर्व कोई प्रस्ताव लिया ओर ना ही पटटा जारी करने बाबत प्रस्ताव पारित लिया गया है यदि प्रस्ताव लिया जाता तो ग्राम पंचायत की पत्रावली में उक्त पटटे का इन्द्राज होता ओर पटटे का समस्त रिकार्ड ग्राम पंचायत के कार्यालय मे उपलब्ध रहता किन्तु ग्राम पंचायत के कार्यालय मे उक्त पत्रावली का रिकार्ड उपलब्ध नही है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत को अपने स्वामित्व की भूमि पर ही पटटा जारी कर सकती है किसी अन्य दीगर व्यक्ति की सम्पत्ति/भूमि पर पटटा जारी किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नही है। इस प्रकार उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बनाया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा नजरबाग की भूमि ठिकाना ईसरदा पर दिया गया है जिसके बाबत कोई दस्तावेज सर्व गुर्जर समाज ने पेश नही किया है तथा बाले बाले पटटा जारी करवा लिया है ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने की कोई प्रकिया का अनुसरण नही किया है। उक्त पटटे का कोई रिकार्ड ,रसीद,व पत्रावली ग्राम पंचायत ईसरदा में उपलब्ध नही है अप्रार्थीगण द्वारा साजिश रचकर ठिकाना ईसरदा की भूमि नजर बाग को जबरन हडपने के लिय व उस पर जबरन कब्जा करने की नियत से पटटा बनाया है जो बनावटी व फर्जी है तथा ग्राम पंचायत ईसरदा के तत्कालीन सरपंच गुरूवचन सिंह के द्वारा इस प्रकार पटटा जारी करने की समस्त कार्यवाही खिलाफ कानून है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी ने देवनारायण मंदिर गुर्जर समाज ईसरदा को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पटटा दिनांक 15.12.1975 की नकल लेने की कई बार कोशिश की लेकिन ग्राम पंचायत ने व विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा के आदेश कमांक 2024–25/46 दिनांक 20.9.2024 को विषय पत्रावली पटटा चाहने बाबत कार्यालय ग्राम पंचायत ईसरदा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा मुरली मनोहर यादव द्वारा चाही गयी पत्रावली का रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही है यह रिकार्ड ग्राम पंचायत देने मे असमर्थ है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया कि देवनारायण मंदिर के लिए तो पूर्व मे ही दिनांक 1.1.1970 को पटटा जारी हो रखा है तो अब यह फर्जी पटटा जारी करने की क्या आवश्यता है। इस प्रकार निगरानी अन्दर मयाद पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस एवं लिखित बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिक है। यह तर्क भी अंकित किया कि पटटा दिनांक 26.12.1975 को ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच गुरूवचन सिंह द्वारा आबादी मे समाज विशेष को मंदिर परिसर के लिये जारी किया था। उक्त पटटा किसी के व्यक्तिगत पक्ष मे जारी नही किया गया है। पटटा जारी करने से करीब 10–15 साल पूर्व से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested

(कान्हा राम)
जिला ...
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(निगरानी संख्या 01/2025 उनवानी ईसरदा चेरीटेबल ट्रस्ट बनाम सरपंच ग्राम पंचायत वगै.)

देवनारायण मंदिर बना हुआ है चारो ओर कांटेदार ढाहरे लगाकर सेवा पूजा होती चली आ रही है। वर्ष 1972 से 1990 तक लक्ष्मी नारायण गुर्जर ही भोपा पुजारी था जो मंदिर की पूजा करता चला आ रहा था अब गांव के गुर्जर समाज द्वारा ओसरा अनुसार सेवा पूजा होती चली आ रही है। मौके पर कोई नजर बाग के आस–पास आबादी है जिसमे मंदिर ,काडया, केसर यादव, मोहन जाट कई के मकान है तथा बैरवा बस्ती भी है। परिवादी निगरानीकर्ता विपक्षीगण से आपसी रंजिश रखता है। पटटा जारी हुए 50 साल हो गये अब जाकर निगरानी पेश कर रहा है। करीब 3 साल पूर्व निगरानीकर्ता मुरली मनोहर यादव ने एक रिपोर्ट जरिये इस्तगासा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 213/2022 जुर्मदफा 420,463,464,467,468,471,120 बी भारतीय दण्ड संहिता मे थाना चौथ का बरवाडा मे दर्ज करवायी जिसमे पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने असल मूल पटटा जब्त कर रखा है जिसकी जब्ति रसीद विपक्षीगण के पास मौजूद है। फोटा कोपी संलग्न है। विपक्षीगण परिवादी की एफ.आई.आर. संख्या 213/2022 की अधीन धारा 482 सीआरपीसी मे माननीय उच्च न्यायालय ने राज0 सरकार एवं परिवादी को पाबंद फरमाते हुए इस प्रकरण में कोई कार्यवाही न्यायालय के आदेश तक नही करने के आदेश जारी किये है। फोटो कॉपी पटटा पर निगरानी पेश नही हो सकती है तथा पटटा से 20 फुट की दूरी पर आबादी भूमि पर जारी किया गया है जहॉ पर बस्ती बसकर मकानात बने हुए है निगरानीकर्ता वैसे ऐठने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा करता रहता है। मुरली मनोहर यादव को मुकदमा दर्ज कराने, ट्रस्ट बनाने का कोई अधिकार नही है। गांव वालो ने मुरली मनोहर यादव के खिलाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एंव श्रीमान उपिजला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को शिकायत भी की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ईसरदा मे द्वारा आदेश जैर निगरानी से संबंधित कोई दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नही है तथा वकील प्रार्थी के अनुसार देवनारायण मंदिर हेतु पूर्व मे दिनांक 1.1.1970 को पटटा जारी किया हुआ है तो पुनः दिनांक 25.12.1975 को पटटा जारी करने का क्या औचित्य रह जाता है । जहॉ तक राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी करने का प्रश्न है तो उक्त स्थगन एफ.आई.आर. संख्या 213/2022 मे अप्रार्थीगण की गिरफ्तारी पर रोक लगायी है। चूंकि पटटे से संबंधित मूल रिकार्ड भी ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु ग्राम पचायत को भिजवाया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत ईसरदा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उक्त पटटे से संबंधित मूल पत्रावली/दस्तावेजो को तलाश किया जाकर उनकी वैद्यानिकता का परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवायी का अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner